

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 5/08 मु०दी०

1-श्रीमती मुन्नीबाई जाटव आयु 25 वर्ष पत्नी श्री रामवीर जाटव

2-ज्ञानसिंह आयु 3 माह नावालिग पुत्र रामवीर जाटव नावालिग व सरपरस्त माता स्वयं श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी रामवीर निवासीगण ग्राम सेमरपुरा मजरा एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----वादीगण

बनाम

1-श्रीमान् चीफ मेडिकल ऑफिसर महोदय जिला चिकित्सालय भिण्ड

2-श्रीमान् डॉ० आर०एस०डण्डोतिया शल्यक्रिया विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय भिण्ड

3-श्रीमान् प्रमुख सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग म०प्र० शासन भोपाल

4-म०प्र० शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय भिण्ड म०प्र०

-----प्रतिवादीगण

//आ दे श//

//आज दिनांक 01-10-2014 को पारित किया गया//

1- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आदेश 33 नियम 2 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है । जिसमें आवेदिका ने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुमति दिये जाने और इस आधार पर न्यायशुल्क में छूट दिये जाने का निवेदन किया गया है ।

2- यह अविवादित है कि आवेदिका के द्वारा एक दावा क्षतिपूर्ति वाबत् 396500/- रुपये जो कि उसके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक नसबंदी कराये जाने के उपरान्त भी उसकी संतान उत्पन्न

हो जाने के कारण प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण के विरुद्ध वाद पेश किया गया है ।

3- आवेदिका के आवेदनपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वह भूमिहीन निर्धन बेरोजगार, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अशिक्षित हरीजन जाति की महिला है । जो कि ग्राम सेमरपुरा एण्डोरी तहसील गोहद की निवासी है । आवेदिका का संयुक्त परिवार होने से और आय का कोई साधन न होने से स्वेच्छया पूर्वक स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत दिनांक 23-12-05 को नसबंदी करायी थी । इसके 23 माह पश्चात् दिनांक 18-11-07 को उसे प्रसव पीडा होकर पुत्र पैदा हुआ जो कि आवेदक क्रमांक-2 ज्ञानसिंह है जो आवेदिका की सरपरस्ती में रहता है । आवेदिका के हित नावालिग के हित के प्रतिकूल नहीं है । आवेदिका के पास ज्ञानसिंह के पालन पोषण हेतु पर्याप्त साधन नहीं है । आर्थिक तंगी के कारण उसने नसबंदी करायी है । जिस संबंध में क्षतिपूर्ति वाबत् वाद उसके द्वारा पेश किया गया है । जिसके साथ संपत्ती की सूची पृथक से संलग्न की गयी है । वह गरीब, निर्धन महिला है । न्यायशुल्क अदा कर मामला लडने की स्थिति में नहीं है । ऐसी स्थिति में न्यायशुल्क में छूट पाने हेतु अंकिचन वाद उसके द्वारा पेश किया गया है । उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार करते हुये न्यायशुल्क में छूट प्रदान कर दावा सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदनपत्र के साथ उसने चल, अचल संपत्ती का ब्योरा पेश किया है । उक्त आवेदनपत्र पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा जिला कलेक्टर भिण्ड से उक्त आवेदिका की आय की जांच कर प्रतिवेदन तलव किया गया है । जो कि प्रकरण में संलग्न है ।

5- आवेदिका के अधिवक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया कि आवेदिका जो कि महिला है तथा हरीजन जाति की है । उसके स्वयं के नाम पर कोई भूमि नहीं है । कलेक्टर के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में उसके पति रामवरी जाटव के नाम पर 0.16 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जिससे कि लगभग 14000/-रुपये की आमदनी होने का प्रतिवेदन दिया गया है । आवेदिका का कोई अलग से आय का स्रोत हो ऐसा कहीं भी प्रतिवेदन में नहीं आया है । ऐसी दशा में वह न्यायशुल्क में छूट प्राप्त करते हुये दावा प्रस्तुत करने की हकदार है ।

6- राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक के द्वारा व्यक्त किया गया है कि कलेक्टर के द्वारा पेश प्रतिवेदन में 14000/- रुपये वार्षिक आमदनी का उल्लेख आया है । ऐसी दशा में आवेदिका को निर्धन व्यक्ति के रूप में दावा पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती

7- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका महिला है जो कि हरीजन जाति की है जिस पर

अनावेदक पक्ष के द्वारा भी कोई विवाद नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदिका के स्वयं की आय का कोई स्रोत हो ऐसा कहीं भी कलेक्टर के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में नहीं आया है । मात्र उसके पति के नाम पर 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि होना और इस आधार पर 14000/-वार्षिक आय होना प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है ।

8— इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 35 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिये न्यायशुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है । वर्तमान आवेदिका की कोई ऐसी समुचित आमदनी या आय के स्रोत होना भी नहीं पाये जाते हैं जिससे कि वह न्यायशुल्क अदा कर सके ।

9— विचारोपरान्त प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य और तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदिका मुन्नीबाई की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 33 नियम 2 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार करते हुये आवेदिका को निर्धन के रूप में दावा लाने और न्यायशुल्क में छूट प्रदान करते हुये दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड